ISSN : 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts

Volume 4 Issue 1 January - June 2023 Edition

Painting by:- Dr. Douglas. M. John

A Knowledge Repository

Scanned with OKEN Scanner

Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2023 4(1), 4250–4254

EDUCATIONAL STATUS OF INDIAN WOMEN: A HISTORICAL STUDY

भारतीय महिला की शैक्षिक स्थिति: एक ऐतिहासिक अध्ययन

Shabana Anjum [1]

[1] Department of History, Purnia University, Bihar, India

ABSTRACT

English: Girls' education is a great opportunity for the social and economic development of India. Educated girls are the weapons that have a positive impact on the Indian society through their contribution in their home and professional fields. They are the reason for a better economy in the country and society. The objectives of this paper are: to evaluate the current status and challenges of girls' education in India; and to provide possible suggestions to overcome the challenges of girls' education in India. To conduct this study the researcher has used a variety of articles, reports, research papers, books, government websites and online materials. This paper is divided into four parts. The first part highlights the historical context and importance of girls' education in India. The second part discusses the current status of girls' education in India. The third part describes in detail the major steps taken by the Indian government to improve girls' education and the various challenges of girls' education. The last section gives suggestions to remove the barriers to girls' education in India. The paper concludes by saying that girls' education is in a much worse state at primary and secondary level than higher education. Girls' enrollment rate has declined from 2012 to 2015 at primary and secondary level, but girls' gross enrollment ratio has increased from 2012 to 2015 at higher education level. Parental attitude, lack of infrastructure, lack of security, superstitions related to girls, socio-economic status of parents are the major challenges to promote girls' education in India. It is suggested in this paper that higher authorities, community members, NGOs and all citizens of India should take responsibility to eliminate various barriers related to girls' education from our society.

Hindi: लड़कियों की शिक्षा भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर है। शिक्षित लड़कियाँ वे हथियार हैं जो अपने घर और पेशेवर क्षेत्रों में योगदान के माध्यम से भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वे देश और समाज में बेहतर अर्थव्यवस्था का कारण हैं। इस पत्र के उद्देश्य हैं: भारत में लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का मूल्यांकन करना; और भारत में लड़कियों की शिक्षा की चुनौतियों को पार करने के लिए संभावित सुझाव प्रदान करना। इस अध्ययन को करने के लिए शोधकर्ता ने विभिन्न प्रकार के लेख, रिपोर्ट, अनुसंधान पत्र, किताबें, सरकारी वेबसाइटें और ऑनलाइन सामग्री का उपयोग किया है। यह पत्र चार भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भारत में लड़कियों की शिक्षा के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में भारत में लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। तीसरे भाग में भारत सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा सुधारने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों और लड़कियों की शिक्षा की विभिन्न चुनौतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अंतिम भाग में भारत में लड़कियों की शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। पत्र में निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उच्च शिक्षा के मुकाबले बहुत खराब स्थिति में है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 2012 से 2015 तक लड़कियों की नामांकन दर में गिरावट आई है, लेकिन उच्च शिक्षा स्तर पर 2012 से 2015 तक लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात बढ़ा है। माता-पिता का दृष्टिकोण, अवसंरचना की कमी, सुरक्षा की कमी, लड़कियों से संबंधित अंधविश्वास, माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इस पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि उच्च अधिकारी, समुदाय के सदस्य, गैर-सरकारी संगठन और भारत के सभी नागरिकों को हमारी समाज से लड़कियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न बाधाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.4901

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

एक समय था जब लोग सोचते थे कि लड़कियों को शिक्षा देना आवश्यक नहीं है। अब हम समझने लगे हैं कि लड़कियों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग लड़कियों के जागरण का युग है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि लड़कियों का सही स्थान घर है। इसलिए उनका तर्क है कि लड़कियों की शिक्षा पर

Scanned with OKEN Scanner

खर्च किया गया धन बर्बाद है। यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा समाज में एक चुपचाप परिवर्तन ला सकती है। लड़कियों की शिक्षा समाज में विशेष रूप से पिछड़े और हाशिए पर रहने वाली श्रेणियों को उन्नति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि लड़कियाँ समाज की रीढ़ हैं, वे नस्ल की माताएं और भविष्य पीढ़ी की संरक्षिका हैं, इसलिए उनकी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यही लड़कियाँ अगली पीढ़ी का निर्माण करती हैं और इस प्रकार देश के भविष्य का निर्धारण करती हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है, लड़कियाँ कुल जनसंख्या का 58.65% हैं, लेकिन उनकी साक्षरता दर 65.5% है, जबकि लड़कों की साक्षरता दर 82.1% है (सांख्यिकी रिपोर्ट, 2011)। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर 4.14% है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 4.49% है (DISE डेटा, 2014-15)। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर 17.79% है और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह 1.61% है (U-DISE डेटा, 2014-15)। हालांकि सरकार ने हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है, "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" 2015 में लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 'सुकन्या समृद्धि योजना' 2015 में लड़की के उच्च शिक्षा और विवाह के खर्च को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रिपोर्ट, 2015)। भारत सरकार लड़कियों के लिए हर स्कूल में शौचालय बनाने की जिम्मेदारी भी ले रही है ताकि स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को कम किया जा सके। क्योंकि 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (2014)' के अनुसार "मध्य और उच्च विद्यालयों में शौचालयों की कमी और ड्रॉपआउट दरों के बीच एक संबंध है।" इस अध्ययन के उद्देश्य हैं: भारत में लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का मूल्यांकन करना; और भारत में लड़कियों की शिक्षा की चुनौतियों को पार करने के लिए संभावित सुझाव प्रदान करना।

300 साल से अधिक समय पहले, भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा practically अस्तित्व में नहीं थी। केवल कुछ उच्च जाति और उच्च वर्ग की लड़कियों को घर पर कुछ शिक्षा दी जाती थी। उस समय लड़कियों की साक्षरता को एक शर्मिंदगी के रूप में देखा जाता था। लड़कियों को शिक्षा देने का विचार माता-पिता के मन में कभी नहीं आया। हिन्दू परिवारों में यह अंधविश्वास था कि यदि लड़की को पढ़ने-लिखने की शिक्षा दी गई, तो वह शादी के बाद जल्दी विधवा हो जाएगी। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट (1959) के अनुसार, "यह नकारा नहीं किया जा सकता कि लड़कियों की शिक्षा की सामान्य स्थिति अत्यंत असंतोषजनक थी और लड़कियों को प्रायः कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती थी, सिवाय उनके घर पर कुछ घरेलू शिक्षा के, जो केवल उच्च वर्गीय परिवारों की बेटियों को मिलती थी।" यह 'अमेरिकी मिशन' था जिसने 1824 में बॉम्बे (अब मुंबई) में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। 1829 तक पांच साल में उस स्कूल में 400 लड़कियाँ नामांकित हो चुकी थीं। फिर 19वीं सदी के पहले दशक में मिशनरी और भारतीय स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों से बॉम्बे, बंगाल और मद्रास राज्यों में कुछ लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों की शुरुआत हुई (मंडल, 2015)। सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा को सामान्य रूप से बढ़ावा देने की जिम्मेदारी ली और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। हालांकि, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कारण सरकार के प्रयास ज्यादा प्रभावी नहीं हो सके। 1857 के युद्ध के बाद, नगरपालिका समितियों और अन्य स्थानीय निकायों को प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1870 में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई, जहाँ महिलाओं को लड़कियों के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप 19वीं सदी के अंतिम भाग में लड़कियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई (मंडल, 2015)।

हालाँकि इन सभी प्रयासों के बावजूद लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में एक बड़ा अंतर था। यह अनुमान था कि प्रत्येक 1,000 लड़कों के लिए स्कूलों में केवल 46 लड़कियाँ थीं। 19वीं सदी के शुरुआत में देश में शायद ही कोई साक्षर महिला थी, सिवाय कुछ उच्च जाति के घरों की महिलाओं के। यह हैरान करने वाली बात है कि सदी के अंत तक पूरे देश में कई नई संस्थाओं में सैकड़ों लड़कियाँ नामांकित हो चुकी थीं। हालांकि लड़कियाँ और महिलाएँ हाल के वर्षों में काफी शिक्षा में प्रगति कर चुकी हैं, फिर भी उनके ऐतिहासिक शिक्षा संबंधी पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत की शिक्षा प्रणाली, जैसे कि अन्य सामाजिक संस्थाएँ, लंबे समय से महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रही है। 1916 में SNDT महिला विश्वविद्यालय, बॉम्बे ने महिला छात्रों को प्रवेश देने वाला पहला उच्च शिक्षा संस्थान बना (मंडल, 2015)। स्वतंत्रता के बाद लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, विशेष रूप से पिछले दशक में। लड़कियों की साक्षरता दर 1951 में 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 29.75 प्रतिशत, 1991 में 39.29 प्रतिशत, 2001 में 54.16 प्रतिशत और अब 2011 की जनगणना रिपोर्ट में यह 65.5% है (जनगणना रिपोर्ट, 1951-2011)। 1995 के बाद से उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा है। भारत में लड़कियों की शिक्षा में मुख्य रुकावट ग्रामीण निवास, निम्न जाति, निम्न आर्थिक स्थिति और लड़कियों की शिक्षा के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण है। ये कारक लड़की को शिक्षा के अवसर से वंचित कर देते हैं। हालांकि, सामान्य रूप से लड़कियों की शिक्षा में प्रगति हुई है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आजकल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कई विभागों और फैकल्टी में लड़कियाँ लड़कों से अधिक दिखाई देती हैं।

2. सामाजिक संदर्भ में महिला शिक्षा का महत्व

लड़कियों की शिक्षा विकासशील देशों में गरीबी समाप्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। उनकी शिक्षा के लाभ व्यक्तियों, उनके परिवारों और पूरे समाज में देखे जाते हैं। इन लाभों में शामिल हैं: महिलाओं द्वारा बच्चों की संख्या में कमी; शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी; मातृ मृत्यु दर में कमी; HIV/AIDS संक्रमण से सुरक्षा; महिलाओं में नौकरी और अधिक आय की संख्या में वृद्धि। लड़कियों की शिक्षा निरक्षरता को समाप्त करने में मदद करती है; आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। लड़कियों के लिए शिक्षा का एक लाभ यह है कि यह युवा लड़कियों के लिए विवाह और गर्भावस्था को विलंबित करने में मदद करता है। यदि एक लड़की 20 साल से पहले शादी करती है और अक्सर अपने पति द्वारा शोषण का सामना

Scanned with OKEN Scanner

करती है, तो लड़कियाँ जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जाती हैं, वे अपनी शादी के फैसले में अधिक भाग ले सकती हैं। जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, वे परिवार नियोजन के अधिक प्रभावी तरीके अपनाती हैं और इस कारण कम और स्वस्थ बच्चे होती हैं। एक शिक्षित लड़की और महिला HIV/AIDS के बारे में जानकार होती है और खुद को इस बीमारी से बचाने के लिए कई तरीके जानती है। शिक्षा के हर साल एक महिला को अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जो महिलाएँ स्कूल गई हैं, उनके परिवार अधिक स्वस्थ होते हैं। ये महिलाएँ डॉक्टरों या क्लिनिकों से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखती हैं। क्योंकि वे पढ़ सकती हैं, साक्षर लड़कियाँ डॉक्टर की विस्तृत निर्देशों को समझ सकती हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए कदम उठा सकती हैं। ये महिलाएँ पोषण संबंधी लेबल भी पढ़ सकती हैं और अपने परिवार को स्वस्थ भोजन प्रदान कर सकती हैं जो विकास को बढ़ावा देता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।

शिक्षा यह भी सिखाती है कि एक लड़की को खुद और अपने घर को स्वच्छ और सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, भारत में लड़कियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। साक्षरता दर पिछले दशकों की तुलना में बढ़ी है। 1991 में लड़कियों की साक्षरता दर 39.3% थी और 2001 में यह 53.7% थी, लेकिन 2011 में लड़कियों की साक्षरता दर 65.5% तक पहुँच गई। साक्षरता में सुधार के साथ-साथ, भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। हालिया डेटा से यह संकेत मिलता है कि लड़कियों की शिक्षा के सभी स्तरों—प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा—में भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि नामांकन बढ़े हैं और ड्रॉप-आउट दरों में गिरावट आई है। तालिका संख्या 1 से यह स्पष्ट है कि 2012 से 2015 तक उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन की स्थिति में 2012 से 2015 तक कोई सुधार नहीं हुआ है। माध्यमिक स्तर पर, 2013 से 2014 तक लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई, लेकिन 2015 में यह घट गई। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में महिला साक्षरता दर संघीय क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। दक्षिण भारत के राज्य में महिला साक्षरता दर अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत बेहतर है। केरल में महिला साक्षरता दर 92.0% के साथ शीर्ष स्थान पर है। ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 2012 से 2015 तक लड़कियों का नामांकन घटा और ड्रॉप-आउट दर 2012 से 2014 तक बढ़ी। लड़कियों की शिक्षा की स्थिति उच्च माध्यमिक स्तर पर काफी बेहतर है। उच्च शिक्षा (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर पर भी स्थिति संतोषजनक थी। इस प्रकार, मूलभूत स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की स्थिति उच्च स्तर की तुलना में बहुत खराब है।

3. नियामक ढांचे और चुनौतियाँ

भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। ये पहलियाँ निम्नलिखित हैं:

- *धारा 15: यह धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकती है।*
- धारा 45: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों को छह साल की आयु तक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए।
- महिला समाख्या कार्यक्रम: यह एक चल रहा योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1989 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए एक ठोस कार्यक्रम में बदलना है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBV): इस योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जहां लड़कियों की साक्षरता दर बहुत कम है।
- राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (NPEGEL): यह कार्यक्रम जुलाई 2003 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य उन लड़कियों तक पहुंच बनाना था जिन्हें SSA द्वारा अन्य योजनाओं के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सका था। इसके तहत मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई थी ताकि लड़कियों को बेहतर अवसर मिल सकें।
- राष्ट्रीय योजना - लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन: यह योजना मई 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लड़कियों की मध्य विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और ड्रॉप-आउट दर को कम करना था।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना: यह योजना एकल पुत्री के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाती है।
- स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना एकल लड़की के लिए सामाजिक विज्ञान में शोध करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- साक्षर भारत: यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया रूप है, जिसे 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- उड़ान योजना: यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच की खाई को दूर करना है।

Scanned with OKEN Scanner

- प्रगति योजना: यह योजना लड़कियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: यह भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- मिड-डे मील योजना: यह योजना लड़कियों को स्कूल भेजने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। मिड-डे मील योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत भी है और कामकाजी महिलाओं को घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्ति दिलाती है।

यह सामान्यत: माना जाता है कि स्कूलिंग बच्चे के लिए अनगिनत लाभ प्रदान करती है। लेकिन यह विडंबना है कि अपनी स्वतंत्रता के 62 वर्षों के बावजूद, भारत के अधिकांश बच्चे, विशेष रूप से लड़कियाँ, इन लाभों से वंचित हैं। लड़कियों को अक्सर स्कूल से निकाल लिया जाता है ताकि वे परिवार की जिम्मेदारियाँ निभा सकें, जैसे छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना।

- माता-पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण: बेटियों की शिक्षा को लेकर माता-पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- महिला शिक्षकों की कमी: महिला शिक्षक न होने के कारण लड़कियों की शिक्षा में एक बड़ी रुकावट आती है। यदि लड़कियों के पास महिला शिक्षक होते हैं, तो वे अधिक स्कूल जाती हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी बेहतर होती है। वर्तमान में, प्राथमिक स्तर पर केवल 47.70% शिक्षक महिलाएं हैं।
- स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी: स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत में लड़कियों की शिक्षा के विकास में एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (2014) ने माना कि लड़कियों के शौचालय की सुविधा के अभाव के कारण, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप-आउट दर पिछले दशकों की तुलना में अधिक बढ़ गई है।
- होस्टल की सुविधाओं का अभाव: कई लड़कियाँ जो मध्य विद्यालय स्तर के बाद शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, वे होस्टल की सुविधाओं के अभाव के कारण इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पातीं।
- लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता: माता-पिता अक्सर लड़कियों के स्कूल जाने को लेकर सुरक्षा की चिंता करते हैं। अपहरण, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों के कारण माता-पिता और लड़कियों में शिक्षा प्राप्त करने के प्रति उत्साह कम हो जाता है, और इसके बाद वे घर में ही बंद हो जाती हैं।
- शिक्षा से जुड़े खर्च: हालांकि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन स्कूल भेजने में कई खर्च जुड़ी होती हैं। यूनिफॉर्म, किताबों या बस किराए का खर्च गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। अक्सर माता-पिता अपनी लड़कियों को घर पर रखकर लड़कों को स्कूल भेजने का निर्णय लेते हैं।
- दूरी और सुरक्षा की समस्या: देश के कई हिस्सों में, एक समुदाय के लिए नजदीकी प्राथमिक स्कूल 4 या 5 घंटे की पैदल यात्रा पर हो सकता है। इसके अलावा, लड़कियों को स्कूल जाने के रास्ते में खतरों या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण माता-पिता अपनी बेटियों को घर पर रखने का चयन करते हैं।
- लड़कियों पर घरेलू काम का दबाव: सामान्यत: लड़कियों से पानी लाने, छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने और माँ की मदद करने की अपेक्षा की जाती है। इसके कारण, लड़कियों को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि उनके घर के कामों को उनकी शिक्षा से अधिक महत्व दिया जाता है।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ: देश के कई हिस्सों में बच्चों का स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर जब वे गरीबी का सामना कर रहे होते हैं। यदि लड़कियों को उचित भोजन या स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, तो वे स्कूल जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं हो सकतीं।
- जल्दी विवाह के कारण शिक्षा का नुकसान: जब लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें अपनी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण चरण में स्कूल से निकाल लिया जाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी शिक्षा में परिवर्तन लड़कियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वही समय होता है जब कई लड़कियाँ जल्दी शादी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।
- शिक्षा अधिकारियों का उत्साह का अभाव: शिक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों में उत्साह और रुचि का अभाव भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में एक समस्या है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी: लड़कियों की शिक्षा की विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों और समुदाय के सदस्यों में जागरूकता की कमी है।

4. निष्कर्ष

लड़कियों की शिक्षा राष्ट्रीय विकास का अभिन्न हिस्सा है। हम निम्नलिखित उपायों द्वारा लड़कियों को वह शिक्षा दिलाने में मदद कर सकते हैं, जिसकी वे हकदार हैं। पहला कदम है शिक्षा तक समान पहुंच। समुदाय के स्तर पर ऐसे प्रयासों को समर्थन देना चाहिए जो लड़के-लड़कियों के बीच समान शिक्षा के अधिकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और इसकी महत्वता को समझाएं। इसके साथ ही लिंग-संवेदनशील शिक्षण

Scanned with OKEN Scanner

वातावरण बनाने की आवश्यकता है, ताकि लड़के और लड़कियां समान रूप से अपनी शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकें। लड़कों को लिंग समानता के बारे में शिक्षा देना भी जरूरी है। लिंग समानता सभी के लिए फायदेमंद होती है—लड़कियों और लड़कों, महिलाओं और पुरुषों के लिए। लड़कों को लिंग समानता प्राप्त करने के समाधान में शामिल करना और पूरे समुदाय में सामाजिक मान्यताओं को बदलने के लिए जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी एक महत्वपूर्ण उपाय हैं। ये छात्रवृत्तियाँ लड़कियों को ट्यूशन फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की आपूर्ति और सुरक्षित परिवहन में मदद करती हैं। लिंग भूमिकाओं को चुनौती देना भी जरूरी है। परिवार और समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना लड़कियों के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही, माता-पिता के साथ खुले संवाद की आवश्यकता है, ताकि वे सामान्य लिंग-संबंधी पूर्वाग्रहों पर विचार कर सकें। स्कूलों में हिंसा को रोकना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समुदायों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि स्कूल हिंसा से मुक्त हों और लड़कियों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करें, बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त, लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सामाजिक समर्थन प्रदान करना चाहिए।

निश्चित स्कूलिंग समय का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि उन्हें घर के कामकाज या खेतों में मदद करनी होती है। अगर स्कूल की समय सारणी लड़कियों की सुविधाओं के अनुरूप हो, जब वे घरेलू कामों से मुक्त होती हैं, तो उनका नामांकन और उनकी शिक्षा में बने रहने की दर बढ़ सकती है। राजस्थान में शैक्षिक कारी परियोजना और लोक जुम्बिश के तहत लचीली स्कूल टाइमिंग्स का प्रयोग किया गया था, और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी विभिन्न बाधाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी केवल उच्च अधिकारियों की नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों, सामुदायिक सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। हमें यह याद रखना होगा कि राष्ट्रीय विकास बिना लड़कियों की शिक्षा के संभव नहीं है। अंत में, यह कहा जा सकता है कि स्कूल अधिकारियों का कार्य लड़कियों को उनके जीवन के तीन महत्वपूर्ण कर्तव्यों के लिए तैयार करना है। पहले, एक सुखी घर की सृष्टि और रख-रखाव की जिम्मेदारी, दूसरे, यदि परिस्थितियां मांगें तो अपनी आजीविका को स्वतंत्र और सम्मानजनक रूप से कमाने की क्षमता और तीसरे, एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने सही ही कहा था, "हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, घरों के सुधार और बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए लड़कियों की शिक्षा लड़कों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।" हालांकि, लड़कियों की शिक्षा के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण में बदलाव इस स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), "लड़कियों की शिक्षा का महत्व", भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, भारत सरकार।
खान, 2022, "शिक्षा कारी परियोजना और लोक जुम्बिश में लचीली स्कूल टाइमिंग्स", राजस्थान शिक्षा विभाग।
लथा, पी.एस., 2023, "लड़कियों की शिक्षा में लिंग समानता की भूमिका", महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
सिवकुमार, एम.ए., 2023, "भारत में लड़कियों की शिक्षा के विकास में संरचनात्मक समस्याएँ", भारतीय शिक्षा रिपोर्ट।
कुमार, जे. & संगीता, 2022, "लड़कियों की शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ", शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
माहीला समाख्या कार्यक्रम, 2022-23, "महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कार्यक्रम", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
शिक्षा मंत्रालय (2022-23), "भारत में लड़कियों की शिक्षा पर योजनाएँ और उनके परिणाम", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
सरकार, 2022, "साक्षर भारत योजना: महिला साक्षरता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन", महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
उड़ान योजना, 2022-23, "लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
शिक्षा रिपोर्ट, 2022, "भारत में लड़कियों की शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट", भारत सरकार।
योजना और कार्यक्रम, 2023, "लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं की समीक्षा", महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना, 2022, "एकल कन्या छात्रवृत्ति योजना", विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

Certificate of Publication

UGC-CARE Listed Journal

UGC

University Grants Commission

To verify visit UGC-CARE Website
Search for ISSN 2582-7472

Let It Be Known By This Certificate That

Shabana Anjum

Manuscript Title

"EDUCATIONAL STATUS OF INDIAN WOMEN: A HISTORICAL STUDY"

"भारतीय महिला की शैक्षिक स्थिति: एक ऐतिहासिक अध्ययन"

Is Published In Volume 4 Issue 1 January- June- 2023 Edition of The

ग्रन्थालयः

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts

ISSN: 2582-7472

Date of Issue: 30 June 2023

Editor-in-Chief:
Dr. Kumkum Bharadwaj
Email: kumkumbh@hotmail.co

Managing Editor:
Dr. Tina Porwal
Email: editor@shodhkosh.com

Scanned with OKEN Scanner

ISSN : 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts

Volume 4 Issue 2 July - December 2023 Edition

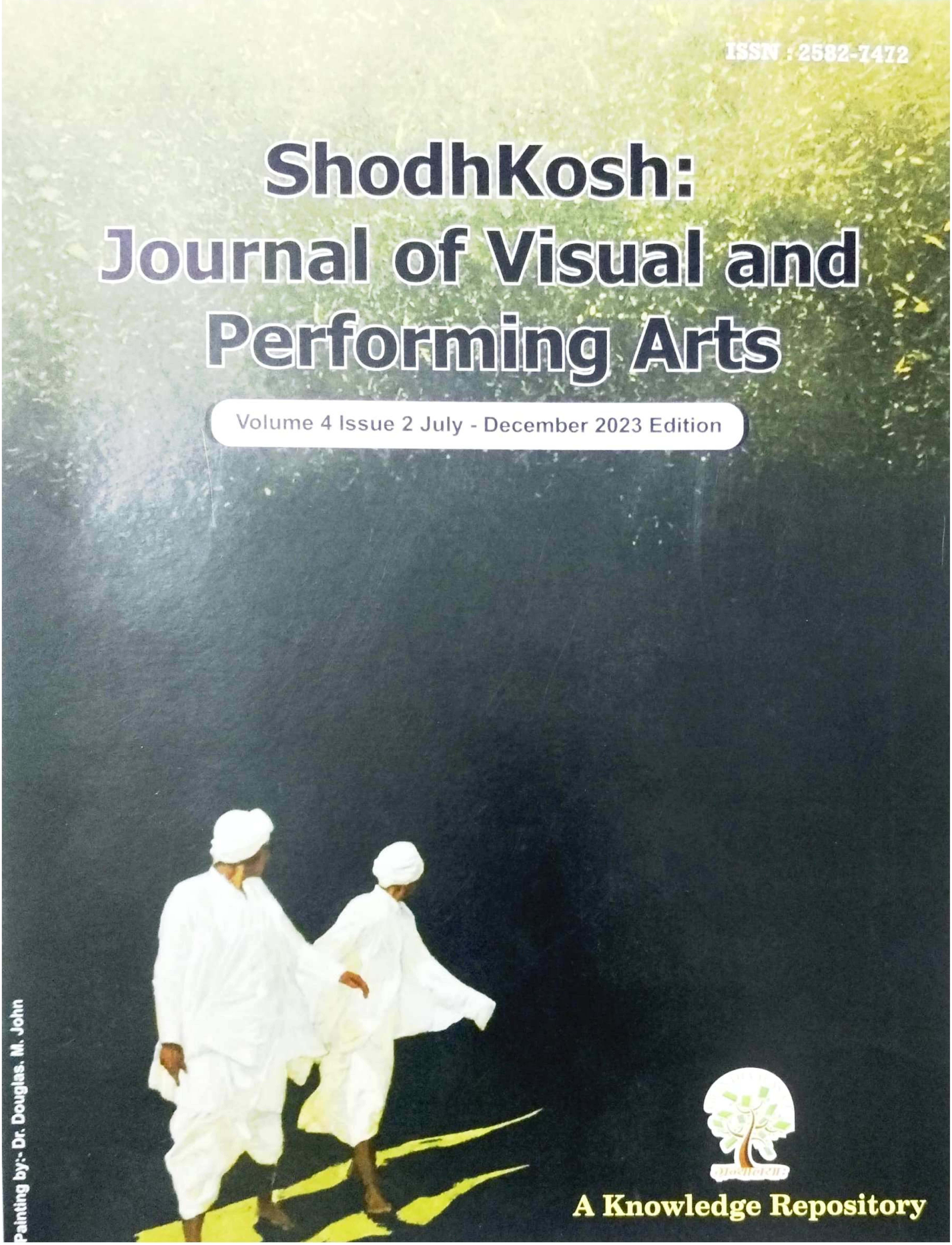

Painting by:- Dr. Douglas. M. John

A Knowledge Repository

Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2023 4(2), 4321–4325

IMPACT OF WOMEN'S RELIGIOUS MARRIAGE RIGHTS ON THEIR SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVE

महिलाओं के विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों का उनके सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर प्रभाव

Shabana Anjum [1]

[1] Department of History, Purnia University, Bihar, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.5048

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: Religious marriage rights play a significant role in shaping the socio-economic status of women in different societies. These rights affect access to education, employment, property ownership and economic independence. This research paper explores the relationship between religious marriage rights and socio-economic status, analysing how different religious doctrines and legal frameworks affect the empowerment or marginalisation of women. In addition, it presents studies from different regions to highlight the inequalities that exist and progress made in ensuring equal rights. The study concludes that while religious marriage rights can provide women with social security and identity, they also often reinforce patriarchal structures, which can limit women's socio-economic progress.

Hindi: विवाह से संबंधित धार्मिक अधिकार विभिन्न समाजों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकार शिक्षा, रोजगार, संपत्ति स्वामित्व और आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। यह शोध पत्र धार्मिक विवाह अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच के संबंध की पड़ताल करता है, यह विश्लेषण करता है कि विभिन्न धार्मिक सिद्धांत और कानूनी ढांचे महिलाओं के सशक्तिकरण या हाशिए पर जाने को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन प्रस्तुत करता है ताकि समान अधिकारों को सुनिश्चित करने में मौजूद असमानताओं और प्रगति को उजागर किया जा सके। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि जहां धार्मिक विवाह अधिकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और पहचान प्रदान कर सकते हैं, वहीं वे अक्सर पितृसत्तात्मक संरचनाओं को भी मजबूत करते हैं, जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सीमित कर सकते हैं।

1. प्रस्तावना

धार्मिक परंपराएं और कानूनी व्यवस्थाएं महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों को गहराई से प्रभावित करती हैं, जिससे उनके दायित्व, भूमिकाएं और अधिकार निर्धारित होते हैं। विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक संस्था भी है, जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। प्रत्येक धर्म और समाज में विवाह के संदर्भ में अलग-अलग नियम और रीति-रिवाज होते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं। विवाह में महिलाओं की स्थिति केवल पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव उनकी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति पर स्वामित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता पर भी पड़ता है। यदि महिलाओं को विवाह में समान अधिकार दिए जाते हैं, तो वे शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके विपरीत, यदि धार्मिक विवाह संबंधी अधिकारों को पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाता है, तो इससे महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस शोध पत्र में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि विवाह से संबंधित धार्मिक मान्यताएं और अधिकार महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और कानूनी व्यवस्थाओं की तुलना की गई है, ताकि यह समझा जा सके कि अलग-अलग

Scanned with OKEN Scanner

समाजों में महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों में कैसी असमानताएं मौजूद हैं और उनके प्रभाव क्या हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से महिलाओं के अधिकारों में मौजूद अंतर को उजागर किया जाए और यह समझा जाए कि इन अधिकारों के विस्तार और सुधार से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।

2. परिभाषा और कानूनी ढांचा

विवाह से संबंधित धार्मिक अधिकार उन विशेष अधिकारों और दायित्वों को दर्शाते हैं जो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर महिलाओं को विवाह में प्राप्त होते हैं। ये अधिकार महिलाओं की विवाह में सहमति, दहेज या वर-वधू मूल्य प्रणाली (dowry या bride price), तलाक के अधिकार, संपत्ति और उत्तराधिकार कानून, तथा वित्तीय सहायता जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। विभिन्न धर्मों में विवाह के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होता है, और ये अधिकार धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रभावों और सामाजिक परंपराओं के अनुसार अलग-अलग परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में विवाह संबंधी धार्मिक अधिकारों की परिभाषा और व्याख्या अलग-अलग होती है। इस्लाम में विवाह (निकाह) एक कानूनी अनुबंध होता है, जिसमें महर (वधू को दिया जाने वाला अनिवार्य वित्तीय उपहार) जैसी शर्तें रखी जाती हैं। हिंदू विवाह परंपरा में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की संपत्ति पर स्वामित्व सीमित रहा है, लेकिन हाल के दशकों में कानूनों में सुधार कर उन्हें अधिक अधिकार दिए गए हैं। ईसाई और यहूदी परंपराओं में पारंपरिक रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी, विशेष रूप से विवाह संबंधी निर्णयों में, लेकिन आधुनिक युग में इन व्यवस्थाओं में प्रगतिशील बदलाव आए हैं। विभिन्न देशों में विवाह से संबंधित अधिकारों को लेकर कानूनी ढांचे भिन्न होते हैं। कुछ देश धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानूनों को अपनाते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं को विवाह में समान अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं, कई देश ऐसे भी हैं जो धार्मिक कानूनों का पालन करते हैं, जिससे अक्सर पुरुषों को अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है।

इस्लामी न्यायशास्त्र में विवाह एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिलाओं के वित्तीय अधिकारों की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। हालांकि, इन शर्तों की व्याख्या क्षेत्रीय परंपराओं और धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ इस्लामी देशों में महिलाओं को तलाक लेने का सीमित अधिकार है, जबकि अन्य में खुला (महिला द्वारा तलाक की प्रक्रिया) को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके लिए अक्सर आर्थिक या सामाजिक समझौते करने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक और सामाजिक संस्था माना जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से महिलाओं को संपत्ति पर सीमित अधिकार दिए जाते थे। हालांकि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act, 2005) जैसे कानूनी सुधारों ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे विवाह में उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है। इसके बावजूद, भारत और अन्य हिंदू-बहुल समाजों में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं आज भी मौजूद हैं, जो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। ईसाई और यहूदी परंपराओं में ऐतिहासिक रूप से विवाह से संबंधित निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सीमित थी। उदाहरण के लिए, पारंपरिक ईसाई कानूनों में तलाक की प्रक्रिया कठिन थी और महिलाओं को संपत्ति के मामलों में कम अधिकार मिलते थे। लेकिन बीसवीं सदी में पश्चिमी देशों में कानूनों में बड़े बदलाव हुए, जिससे महिलाओं को विवाह, संपत्ति और तलाक में अधिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, बल्कि यह महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता को गहराई से प्रभावित करता है। विभिन्न धार्मिक परंपराएं और उनके द्वारा निर्धारित विवाह-संबंधी नियम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समाजों में विवाह से जुड़े धार्मिक अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, जबकि अन्य में ये अधिकार उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इस खंड में, शिक्षा और रोजगार तक महिलाओं की पहुंच, संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकार, तथा तलाक और आर्थिक स्वतंत्रता पर विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। कई समाजों में विवाह से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को नियंत्रित करती हैं। कुछ पारंपरिक समाजों में विवाह को महिलाओं के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और व्यावसायिक करियर बनाने की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। विशेष रूप से, प्रारंभिक या जबरन विवाह की प्रथा महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्र आर्थिक पहचान बनाने के अवसरों से वंचित कर सकती है। उदाहरण के लिए, कई दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में लड़कियों की कम उम्र में शादी होने के कारण वे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। इसके विपरीत, कुछ प्रगतिशील धार्मिक संदर्भों में विवाह-संबंधी अधिकार महिलाओं की शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मुस्लिम देशों में विवाह अनुबंधों में यह प्रावधान किया जाता है कि महिला अपनी शिक्षा जारी रख सकती है और काम करने की स्वतंत्रता रखेगी। इसी तरह, ईसाई और यहूदी समाजों में भी हाल के वर्षों में धार्मिक संस्थाओं ने महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक विकास को समर्थन देना शुरू किया है। जब विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकार महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं, तो इससे उनकी सामाजिक गतिशीलता (social mobility) में सुधार होता है और वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

4. संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकार

संपत्ति और उत्तराधिकार कानून, जो अक्सर धार्मिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पारंपरिक रूप से, कई धर्मों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम संपत्ति अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है। इस्लामी कानून में महिलाओं को पुरुषों के आधे के बराबर उत्तराधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए, एक मुस्लिम महिला अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई की तुलना में आधी हिस्सेदार होती है। हालांकि, इस्लामी व्यवस्था में महिलाओं के लिए महर (शादी के समय दिया जाने वाला वित्तीय उपहार) और विवाह के दौरान पति की वित्तीय जिम्मेदारी जैसे प्रावधान उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सुरक्षित करते हैं, लेकिन यह आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते। इसके विपरीत, हिंदू और ईसाई परंपराओं में संपत्ति अधिकारों में सुधार हुआ है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act, 2005) में संशोधन कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसी तरह, ईसाई बहुल देशों में महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार में समान संपत्ति अधिकार मिलने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। इन सुधारों के बावजूद, व्यावहारिक रूप से कई महिलाओं को पारिवारिक दबाव और सामाजिक रीतियों के कारण अपने उत्तराधिकार अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में असमानता महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है और उन्हें विवाहित जीवन में वित्तीय निर्भरता के दायरे में बनाए रखती है। जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति अधिकार दिए जाते हैं, वहां वे अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं और विवाह में उनकी स्थिति अधिक सशक्त होती है।

5. तलाक और आर्थिक स्वतंत्रता

तलाक से संबंधित धार्मिक कानून महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में तलाक की प्रक्रिया, महिलाओं के अधिकार, और इसके आर्थिक परिणाम भिन्न होते हैं। इस्लामी कानून में महिलाओं को खुला (महिला द्वारा तलाक की प्रक्रिया) के माध्यम से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके आर्थिक परिणाम अलग-अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। कई मुस्लिम देशों में तलाक के बाद महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन कई मामलों में यह अस्थायी होती है और महिलाओं को स्थायी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। हिंदू और ईसाई परंपराओं में तलाक के अधिकार ऐतिहासिक रूप से अधिक सीमित रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के नियमों को समय के साथ उदार बनाया गया है, लेकिन कई महिलाओं के लिए तलाक के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करना आज भी एक चुनौती बनी हुई है। इसी तरह, ईसाई विवाह परंपराओं में तलाक लंबे समय तक कठिन और सामाजिक रूप से कलंकित रहा, लेकिन आधुनिक कानूनों ने महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता दी है। तलाक के आर्थिक प्रभाव विशेष रूप से उन समाजों में गंभीर होते हैं जहां महिलाओं को विवाह में वित्तीय सुरक्षा नहीं दी जाती है। यदि महिलाओं को संपत्ति और भरण-पोषण में सीमित अधिकार मिलते हैं, तो तलाक के बाद वे वित्तीय संकट का सामना कर सकती हैं। इसके विपरीत, जहां महिलाओं को विवाह में समान संपत्ति और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, वहां तलाक के बाद भी वे आत्मनिर्भर बनी रह सकती हैं।

6. धार्मिक अधिकार और आर्थिक परिणाम

इस्लामी संदर्भ: विवाह और वित्तीय सुरक्षा: मुस्लिम-बहुल देशों में विवाह को एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ वित्तीय सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महर (दुल्हन को दिया जाने वाला अनिवार्य वित्तीय उपहार) होता है, जिसे विवाह अनुबंध में उल्लेख किया जाता है। महर विवाह के समय या बाद में पत्नी को भुगतान किया जाता है, जो उसे आर्थिक रूप से सशक्त करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा, इस्लामी कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवाह के दौरान पति पत्नी की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायी होता है। हालांकि, इन वित्तीय सुरक्षा उपायों के बावजूद, इस्लामी समाजों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता कई चुनौतियों का सामना करती है। कई मुस्लिम देशों में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार सीमित होते हैं। इस्लामी उत्तराधिकार कानून (Sharia Inheritance Law) के अनुसार, एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई के हिस्से का केवल आधा प्राप्त करती है। इस असमानता के कारण, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा अक्सर विवाह के बाद उनके पति या परिवार पर निर्भर रहती है। इसके अतिरिक्त, कुछ इस्लामी समाजों में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध होते हैं। रूढ़िवादी मुस्लिम समुदायों में विवाहित महिलाओं के काम करने को पारिवारिक मूल्यों के विपरीत माना जाता है, जिससे उनकी आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं। हालांकि, कुछ मुस्लिम देशों, जैसे कि ट्यूनीशिया, तुर्की और इंडोनेशिया, में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कानूनी सुधार किए गए हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इन नीतियों को पूरी तरह लागू करने में अभी भी कठिनाइयां बनी हुई हैं।

हिंदू संदर्भ: भारत और अन्य हिंदू-बहुल देशों में विवाह को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित रही है। ऐतिहासिक रूप से, हिंदू समाजों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता था, और विवाह के बाद

Scanned with OKEN Scanner

उनकी वित्तीय सुरक्षा पूरी तरह उनके पति और ससुराल पर निर्भर करती थी। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में कानूनी सुधारों ने इस स्थिति में बदलाव किया है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए हैं। इस सुधार ने विवाहित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सहायता की है। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम ने महिलाओं को विवाह के दौरान और तलाक की स्थिति में भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, कानूनी सुधारों के बावजूद, कुछ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में दहेज प्रथा आज भी एक बड़ी समस्या है। विवाह में दहेज की मांग महिलाओं के परिवारों पर आर्थिक बोझ डालती है और कभी-कभी यह विवाहित महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का कारण बनती है। इसके अलावा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता अभी भी अधिक बनी हुई है, और उन्हें पति की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ आधुनिक हिंदू परिवारों में, महिलाओं को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन विवाह से संबंधित धार्मिक परंपराएं अभी भी कई महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में बाधा डालती हैं।

ईसाई संदर्भ: पारंपरिक रूप से, ईसाई धर्म में विवाह महिलाओं के लिए एक प्रतिबंधात्मक संस्था थी, जिसमें पति को परिवार का प्रमुख माना जाता था और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के सीमित अवसर मिलते थे। ईसाई परंपराओं में तलाक को सामाजिक और धार्मिक रूप से हतोत्साहित किया जाता था, जिससे महिलाओं के लिए विवाह छोड़ना और स्वतंत्र जीवन जीना कठिन हो जाता था। हालांकि, 20वीं सदी में पश्चिमी देशों में कानूनी सुधारों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के प्रभाव से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तलाक के मामलों में समान संपत्ति विभाजन जैसे कानून लागू किए गए हैं, जिससे विवाहित महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली है। अमेरिका, कनाडा, और यूरोप के कई देशों में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार कानूनों में समानता, और कार्यस्थल पर समान अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकी हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों में विवाह कानूनों को धर्मनिरपेक्ष आधार पर विकसित किया गया है, जिससे महिलाओं को करियर बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। अधिकांश पश्चिमी समाजों में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, पेशेवर करियर बना सकती हैं, और विवाह में समान अधिकारों का आनंद ले सकती हैं। हालांकि, कुछ पारंपरिक ईसाई समुदायों में अभी भी विवाह में पुरुष प्रधानता की मान्यता बनी हुई है, लेकिन कानूनी और सामाजिक परिवर्तनों ने महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायता की है।

7. निष्कर्ष

विभिन्न धर्मों में विवाह के नियम और परंपराएं महिलाओं के लिए कुछ वित्तीय सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं, लेकिन कई मामलों में ये अधिकार पुरुषों के पक्ष में झुके होते हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है। इस्लामी संदर्भ में, महर और पति की वित्तीय जिम्मेदारी जैसी प्रथाएं महिलाओं को कुछ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन उत्तराधिकार में असमानता और कई मुस्लिम समाजों में महिलाओं के रोजगार पर सामाजिक पाबंदियां उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता में बाधा डालती हैं। हिंदू धर्म में कानूनी सुधारों, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005) ने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन दहेज प्रथा और विवाहित महिलाओं की वित्तीय निर्भरता जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ईसाई बहुल पश्चिमी देशों में कानूनी सुधारों ने विवाह में समानता को बढ़ावा दिया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति अधिकार और तलाक के बाद वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं।

कई समाजों में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, भले ही कानून उन्हें समान अधिकार प्रदान करता हो। उदाहरण के लिए, कई दक्षिण एशियाई देशों में, भले ही महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया हो, सामाजिक दबाव और पारिवारिक परंपराएं अक्सर उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकती हैं। इसी तरह, कुछ इस्लामी देशों में कानूनी रूप से महिलाओं को काम करने की अनुमति है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के कारण उन्हें व्यावसायिक अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए, महिलाओं के विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों में सुधार लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सरकारों को ऐसे कानून बनाने और लागू करने चाहिए जो महिलाओं को उनके धार्मिक विवाह अधिकारों के भीतर अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। इसके अलावा, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर मानसिकता बदलने की जरूरत है। धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को भी यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए कि विवाह से जुड़े धार्मिक नियम महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करने का माध्यम न बनें।

संदर्भ

अब्दुल्लाह, फातिमा (2022). इस्लामी विवाह कानून और महिलाओं के वित्तीय अधिकार: एक तुलनात्मक अध्ययन। नई दिल्ली: इस्लामिक स्टडीज पब्लिकेशन।

शर्मा, राधिका (2023). हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और महिलाओं के संपत्ति अधिकार: एक ऐतिहासिक विश्लेषण। वाराणसी: भारतीय विधि अनुसंधान संस्थान।

Scanned with OKEN Scanner

चटर्जी, संदीप (2022). पश्चिमी ईसाई समाजों में विवाह और महिलाओं के अधिकार: एक आधुनिक दृष्टिकोण। कोलकाता: सामाजिक अध्ययन प्रकाशन।

सिंह, कविता (2023). भारतीय समाज में दहेज प्रथा और विवाह-संबंधी आर्थिक असमानता। नई दिल्ली: नारी शक्ति प्रकाशन।

जॉनसन, माइकल (2022). धर्म, विवाह और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पाटिल, मीना (2023). समकालीन भारत में विवाह कानून और महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता। पुणे: समाजशास्त्र अध्ययन केंद्र।

यसुफ़, सलीमा (2022). महिलाओं के विवाह अधिकार और इस्लामी उत्तराधिकार कानून: कानूनी और सामाजिक प्रभाव। कराची: पाकिस्तान लॉ जर्नल।

Scanned with OKEN Scanner